कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

अपील संख्या 5772/2021 संयोगिता कंवर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2021 में अप्रार्थीगण को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी मूल रूप में राउमावि. रानीदेशीपुरा, ब्लॉक–सगदड़ी, जिला–बाडमेर में अध्यापक लेवल II के पद पर परंतु वर्तमान में कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय तबीजी जिला अजमेर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलार्थी के दो छोटी पुत्रियॉं है तथा अपीलार्थी स्वयं कैंसर रोग से पीड़ित है, जिसका ईलाज श्री राम एण्ड सुपरस्पेशिलिटी सेन्टर सीतापुरा जयपुर में चल रहा है, इन सभी परिस्थितियों के कारण अपीलार्थी को अपनी पुत्रियों व स्वयं की देखभाल मे कई परेशानिया हो रही है। अतः अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर प्रतिनियुक्ति स्थान अजमेर जिले से जयपुर जिले (गृह जिला) के विद्यालयों में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के अनुसार अध्यापक लेवल II का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। अध्यापक लेवल II का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। अध्यापक लेवल II के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एव चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन मे पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

Rajasthan Education Document
सत्यमेव जयते

(कानाराम)
आई.ए.एस
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जय/13242/2021 दिनांकः– 20/01/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, अजमेर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
4. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
5. अपीलार्थी संयोगिता कंवर, अध्यापक लेवल II, कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय तबीजी, जिला–अजमेर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

20.1.22
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)